

मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद,  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,  
विंध्याचल भवन, द्वितीय तल, भोपाल

क्रमांक / 378 / 22 / वि-7 / ग्रारोगा / 2007,

भोपाल, दिनांक 7/3 / 2007

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (2) (i) के तहत मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी योजना से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी अभिहित किये जाते हैं एवं धारा 19 (2) (i) के तहत अभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के सम्मुख दर्शाये अधिकारी अपीलीय अधिकारी घोषित किये जाते हैं :

क्र.	कार्यालय का नाम	अभिहित अधिकारी का पद नाम	अपीलीय अधिकारी
1.	मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल	संयुक्त आयुक्त (म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल)
2.	जिला कार्यक्रम समन्वयक (कलेक्टर) एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिला पंचायत)	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी)	जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिले का कलेक्टर)
3.	जनपद पंचायत	कार्यक्रम अधिकारी (संबंधित जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी)	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (संबंधित तहसील)
4.	ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम पंचायत का सचिव / पंचायत कर्मी	कार्यक्रम अधिकारी (संबंधित जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी)



(वसीम अख्तर)  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पु.कमांक/379/22/वि-7/ग्रारोगा/2007.

भोपाल, दिनांक 7/3/2007

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, म.प्र. शासन।
  2. निज सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
  3. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
  4. आयुक्त पंचायत एवं सामाजिक न्याय।
  5. समस्त आयुक्त (उज्जैन संभाग को छोड़कर)।  
की ओर सूचनार्थ।
  6. समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
जिला - मण्डला, डिण्डोरी, उमरिया, शहडोल, धार, शिवपुरी, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी,  
बैतूल, झाबुआ, सतना, बालाघाट, सीधी, छतरपुर, श्योपुर, सिवनी, टीकमगढ़(मध्य प्रदेश)
  7. समस्त कार्यक्रम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) जनपद पंचायत, जिला-मण्डला,  
डिण्डोरी, उमरिया, शहडोल, धार, शिवपुरी, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, झाबुआ,  
सतना, बालाघाट, सीधी, छतरपुर, श्योपुर, सिवनी, टीकमगढ़(मध्य प्रदेश)
  8. समस्त ग्राम पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी जिला - मण्डला, डिण्डोरी, उमरिया,  
शहडोल, धार, शिवपुरी, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, झाबुआ, सतना, बालाघाट,  
सीधी, छतरपुर, श्योपुर, सिवनी, टीकमगढ़(मध्य प्रदेश)
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



(वसीम अख्तर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्